GOVERNMENT BILLS

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2023 - Contd.

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Shrimati Sulata Deo. .. (Interruptions)... You were making good contribution and you were really giving important inputs also.

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा)ः सर, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। मैं अपनी बात शुरू से रखना चाहती हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यह मुझे याद नहीं है।

MR. CHAIRMAN: You may start from the beginning. Your time will start now.

SHRIMATI SULATA DEO: Thank you, Sir. ऑनरेबल चेयरमैन सर, The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2023 पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं अपनी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करती हूं।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P. T. USHA) in the chair.]

आज 'विश्व आदिवासी दिवस' है, मैं इस सदन के जरिए सारे आदिवासियों का अभिनंदन करती हूं। यह जो बिल आ रहा है, यह महार, माहरा, महरा, मेहर और मेहरा समुदाय के लिए आ रहा है। जब यह बिल पास होगा, तो इसमें छत्तीसगढ़ के कम से कम दो लाख अनुसूचित जाति के लोग जुड़ जायेंगे। मैं एक बात बोलूंगी कि जब यह बिल पारित हो जायेगा, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीस लाख अनुसूचित जाति के लोग शामिल हो जायेंगे। भारत में टोटल 20 करोड़ अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन है और देखा जाय तो बिल पास होने के बाद सिर्फ छत्तीसगढ़ में 36 लाख अनुसूचित जाति के लोग हो जायेंगे। भारतवर्ष में टोटल 16.6 परसेंट अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन है और छत्तीसगढ़ में ये 12 परसेंट हो जायेंगे।

मैडम, मैं यह बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं - जब ये जातियां अनुसूचित जाति की लिस्ट में जुड़ जायेंगी, तो इनको भी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा, जैसे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कहीं पर इलेक्शन में खड़े होने का हो, कहीं पर सबसिडी मिलने का हो, लोन मिलने का हो, इन सबका उन लोगों को लाभ मिल जायेगा।

मैडम, ओडिशा के मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी ने भी रिकमंडेशन की थी कि इन जातियों को भी एस.सी. की लिस्ट में डाला जाए, जिसमें सियाल, मेहरा, मेहर, चिकवा, चिक बड़ाइक और चम्भर शामिल हैं। सारे भारतवर्ष में एस.सी. 17 परसेंट हैं, मगर शिक्षा, employment और निर्वाचन के लिए सिर्फ 15 परसेंट रिज़र्वेशन मिल रहा है। जब उनकी आबादी 17 परसेंट है, तो उनको 17 परसेंट का रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले, 7 अगस्त को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में बिल पारित हुआ था, वह इन लोगों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। चूंकि ये लोग जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते थे, जिसके कारण आगे चलकर उनको पढ़ाई में तकलीफ होती थी, इसलिए वह उनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैडम, मुझे एक बात अचंभित करती है, आंदोलित करती है कि हम लोग अनुसूचित जाति के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं - जब से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हुई है, तब से आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पांच विचारपति हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं। अगर देखा जाए, तो सारे भारतवर्ष में 850 विचारपति हाई कोर्ट्स में हैं, उनमें से केवल 24 अनुसूचित जाति के हैं। हमें यह देखना चाहिए कि इनको प्रमोट कैसे किया जाए, इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए।...(**समय** की **घंटी**)... मैडम, मैं एक बार फिर से इस बिल का समर्थन करती हूं, धन्यवाद, वंदे उत्कल जननी!

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पी.टी. उषा)ः डा. सुमेर सिंह सोलंकी।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन लाया गया है। अनुसूचित जाति की सूची में महार, माहरा, महरा, मेहर और मेहरा जाति को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन जातियों को 'संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950' के भाग में, 23 छत्तीसगढ़ में प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय आता है, जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण बिल आता है, तो जो आदिवासियों के तथा अनुसूचित जाति के भाइयों के हितैषी होने का ढोंग करते थे, वे आज सदन से बाहर चले गये हैं। जब भी आदिवासियों के हित की बात आती है, तो वे सदन में हो रही चर्चा से भाग जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल लोक सभा में 2023 में पेश किया गया था। यह बिल इसी मानसून सत्र में लोक सभा द्वारा पारित भी किया गया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, माननीय डा. वीरेंद्र कुमार जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि देश के कोने-कोने में इस प्रकार की पिछड़ी और छोटी जातियाँ, जो अभी तक मुख्यधारा से वंचित थी, उन्हें मुख्यधारा में लाने का का काम किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे समय में विपक्ष के लोग, जो साठ सालों तक आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की भलाई का ढोंग करते आए हैं, इन्होंने साठ सालों तक सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेंकने का काम किया है। सदन के लोग और देश की 140 करोड़ जनता यह देख रही है कि वे आज फिर से सदन से भाग गए हैं। पिछले लंबे समय से हमारा विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं है। महोदया, सदन में जब-जब आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के भाई-बहनों के कल्याण की बात आती है, तब-तब अपने क्षेत्र के होते हुए भी छत्तीसगढ़ के सांसद यहाँ सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ के भाई-बहनों के हित की चिंता नहीं है, हमारे विपक्ष को उनकी चिंता नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बताना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने पिछले साठ सालों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को केवल वोट बैंक समझ रखा है, आपने कभी इस समाज के विकास की चिंता नहीं की। ये हमेशा मगरमच्छ के आँसू बहाने का काम करते हैं, ढोंग करते हैं। विपक्ष को तो बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी दिया है, वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों का कल्याण करने का काम किया है। ...(**समय की घंटी**).. महोदया, कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों को आरक्षण देने का काम किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास महाराज का 100 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा, भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किया जा रहा है। यह काम मध्य प्रदेश सरकार और माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। ...(**समय की घंटी**)...में इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग बाबा साहेब की बात तो करते हैं, लेकिन जब सदन में अनुसूचित जाति के भाइयों का बिल आता है, तब आप सदन से क्यों भाग जाते हैं - ऐसा मैं उनसे पूछना चाहता हूं? हमारे देश की सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। महोदया, मैं अंत में अपनी बात कहना चाहता हूं कि,

> ''रेत पर हम नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं।'...(समय की घंटी)..

पुनः सुन लो विपक्ष वालो,

''पत्थर दिल हैं हम, जो नाम सीने पर लिखते हैं, वे कभी मिटते नहीं।''

महोदया ,मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ,जो हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलने का काम करता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी ,माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार को उन लाखों भाइयों और बहनों की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ,जय हिंद ,नर्मदे हर!

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Madam, Vice-Chairman, for giving me this opportunity. This Bill includes a particular group in the SC category. But the point is, without there being any infrastructure; merely giving

SC status is of little use, because they are living in a very pathetic condition in the society. Without creating any infrastructure, merely giving SC status is of no use. They are facing many troubles and the Government is not providing them any infrastructure and medical facilities. They have to be provided by the respective State Governments since it is a State subject.

Another major issue is, we have to protect the lands of the STs. We have to also provide adequate safeguards and provide them with adequate standard of living. Some of the lands belonging to SCs are being occupied. By amending the existing Acts, lands of SCs are being taken away in the State of Andhra Pradesh. Employment comes after that...(Interruptions)..

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): SCs' lands have been taken away not during our time. ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: I will give an example of the State of Andhra Pradesh. My senior colleague has already mentioned about the schemes being implemented by the present Government. But, unfortunately, their condition is very pathetic. ..(Interruptions)..

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: SC/ST atrocities...(Interruptions)... during their time. ...(Interruptions)... It is not in our time...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Another major issue is, there is an Act to protect the SCs' lands, but the State Government chose not to implement that. The reason behind is the officers are hand in glove with the authority. With regard to the State of Andhra Pradesh, another important aspect is that the Central Government has allocated certain funds to the SC/ST Sub-Plan. The State Government has given it to another scheme. Those funds have totally been diverted by the Andhra Pradesh Government, utilising it for some other purposes. *...(Interruptions)...* They are diverting the funds. In order to substantiate this contention, the member of National Commission for Scheduled Tribes, Mr. K. Ramulu, said that there were diversion of funds by the State Government from the SC Plan. Sir, there are some other important issues. Under the ST Sub-Plan, the Government allocated certain funds. From 2019-21, social welfare funds to the extent of Rs.8,400 crores were diverted by the State Government for other purposes by issuing G.Os, Memos, contradicting the rules made by the Central Government. Likewise, it was done in case of Tribal Welfare Fund also. *(Time-bell rings.)* Funds to

the extent of Rs.1,000 crores were diverted by the Government. Please give me half a minute. Now, the State Government has brought an amendment with regard to the SCs' lands. ... *(Interruptions)*... They wanted to take away their lands. The ruling party authorities are occupying the lands under the respective amendments. Apart from that, there is no law and order. Day in and day out, atrocities and attacks on SC women are being committed. Some false cases are also being filed against the SCs. This has to be prevented. They need to be protected. Merely giving ST status is not sufficient. The Central Government has to take care of and protect the interests of the SCs, particularly in Andhra Pradesh. Thank you, Madam.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Madam, by April, even that lone Member is going away. There will not be any representation in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Shri Subhas Chandra Bose Pilli.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Respected Madam, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. The objective of this Bill is to modify the existing list of Scheduled Castes in Chhattisgarh by including certain communities, the 'Mahar', 'Mahara', 'Mahra', 'Mehar' and 'Mehra'. These are all being included. The proposal has received unanimous concurrence from the Registrar General of India and also the National Commission for Scheduled Castes.

The 'Mahar' are the original inhabitants of Maharashtra and the State is believed to be named after them. Dr. B.R. Ambedkar, the father of the Indian Constitution, also belonged to the Mahar community.

Since time immemorial, the Mahar community has faced harsh discrimination from the upper castes. After 1949, when the Constitution outlawed caste discrimination, they began to fight for their rights under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. One, the inclusion of these communities in the Scheduled Castes list will unlock a multitude of opportunities for them across various domains. The second is education. By granting them reservation in educational institutions, the Bill can pave the way for increased literacy and access to better educational facilities, empowering the younger generation with brighter prospects. The third is employment. Reservation in Government jobs and public sector enterprises will enhance their employability.

Madam, the Annual Budget showed its commitment to economic empowerment of weaker sections of society by allocating Rs. 38,605 crore for the BC

component; Rs. 20,005 crore for the SC component; and Rs. 6,929 crore for the ST component in the current year.

I urge the Government to fulfill its commitment for the well-being of these sections to ensure that the allocated funds are effectively utilized to create opportunities for their socio-economic growth and development.

The Andhra Pradesh Government Sub-Plan approach has had a tremendous impact on the unpliftment of marginalized communities. In its Budget, Andhra Pradesh has allocated Rs. 4,360 crore towards Andhra Pradesh Scheduled Castes Corporations. ... (*Time-bell rings.*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Besides education and economic empowerment, there is a need to promote diversity and representation in the Judiciary. It is shocking that since the establishment of the Supreme Court, there have been only five Judges from Scheduled Castes. There are only five Judges from Scheduled Castes. There are only five Judges from Scheduled Castes. Currently, only 24 out of 850 High Court Judges hail from Scheduled Caste community.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Fourteen of these courts have no SC Judge at all. This is very pitiable. The Government must implement policies to increase the inclusion of qualified and deserving candidates from SC backgrounds in the judicial system. Scholarships and training programmes are needed to enhance access and opportunities, ensuring a fair and inclusive Judiciary that reflects the rich diversity of our nation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: I am concluding, Madam.

This Amendment further strengthens the 'unity in diversity' where every citizen is treated with dignity and respect irrespective of his or her background.

With these suggestions, on behalf of YSR Congress Party, I support this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Thank you. Dr. M. Thambiduarai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Madam Vice-Chairman, for giving me this opportunity. On behalf of AAIDMK Party, I am supporting the Bill brought forward to make the Amendment in the Constitution to include certain communities as Scheduled Castes in the State of Chhattisgarh.

Madam, our AIADMK Party has always championed the cause of reservation for the SC, ST, MBC and BC communities. Our Dravidian Party is based on this concept, and we have always been fighting for the social justice for the poor people. Casteism must be abolished. That is our main goal. In Tamil Nadu, our hon. former Chief Minister, MGR, the founder of the AIADMK Party, made the reservation for SC, ST, MBC and BC. He made the provision of 69 per cent reservation for them. Then, afterwards, our former Chief Minister, Madam Jayalalithaa, made that 69 per cent reservation as a constitutional provision, including that in the 9th Schedule. She succeeded in that.

Madam, I have got a request to make, which is about the Boyar community. In Karnataka, the Boyar community belongs to the Scheduled Castes, but not so in the neighbouring State of my State, Tamil Nadu. My place, Hosur, in the Krishnagiri region, is just three kilometers away from Bengaluru. There, the Boyar community belongs to the OBC category. Now, the Boyar community is a community of very poor people who work very hard and are involved in stone cutting, construction activities, and so on. Therefore, the AIADMK Party demands that the Boyar community be included in the list of Scheduled Castes. Madam, this is important because in India, social justice can be given on the basis of castes. Unfortunately, in India, in the Hindu system, the caste system is prevalent. People from different castes are treated differently. Therefore, social justice cannot be ensured unless we give reservation to poor people and uplift them economically and socially by providing reservation in employment, etc. Therefore, I would request the hon. Minister to ensure social justice to these poor people. Our leader, Shri Edappadi Palanisamy, has always fought for the cause of social justice, based on the principles of the Dravidian Movement. Hence, on behalf of the AIADMK Party and Shri Edappadi Palanisamy, I would request the hon. Minister to include the Boyar community, the poor people involved in stone cutting, labour and similar work to be included in the list of Scheduled Castes. When they are being treated as Scheduled Castes in Karnataka, they must be treated as Scheduled Castes in Tamil Nadu as well. This is my humble request.

Madam, I hope that the hon. Minister would consider my request and include the Boyar Community in the Scheduled Castes list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Hon. Member, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Madam, on behalf of my Party, the YSR Congress Party -- it is not Congress Party, it is YSR Congress Party; it is not part of the so-called I.N.D.I.A either -- and also my leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu*, who is considered to be a savior of SC, ST and BC communities, I support this Bill wholeheartedly.

Now, instead of talking on the Bill, I have no other option but to counter the allegations that have been made by my opponent and hon. Member, Shri Ravindra Kumar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): You have got three minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Madam, I will take just two minutes. Recognizing the need for the holistic upliftment of the SC and ST communities in the State, Andhra Pradesh Government, under the stewardship of Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, has taken a wide range of initiatives. There are many welfare schemes that have been introduced for the upliftment of Scheduled Castes. The first such scheme is the YSR Pension Kanuka, under which Rs. 2,600 crore were released to 12 lakh SC/ST pensioners. The second one is YSR Cheyutha, under which Rs. 1,200 crore were released to 6.4 lakh SC women to help them develop entrepreneurship skills. The third is Jagananna Vidya Deevena Scheme, under which Rs. 340 core were incurred towards reimbursement of fee for 2.3 lakh SC students. Then, the Andhra Pradesh Government has introduced a new scheme, Jaganna Videshi Vidya Deevena to provide financial assistance to eligible students belonging to SC/ST/BC, Minority, EBC to pursue higher studies in top 200 universities, ranked as per the QS World University rankings. Lastly, free power up to 200 units is being provided to 17 lakh SC households every month. But the State's efforts must be supplemented by the hon. Union Minister.

I would request the hon. Minister to supplement all the schemes and support the State in the upliftment of the SC, ST, BC and minority communities. Thank you for the opportunity, Madam. We support the Bill wholeheartedly.

4.00 P.M.

डा. वीरेंद्र कुमारः उपसभाध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों में 'महरा' और 'माहरा' समुदाय को शामिल करने के संबंध में इस चर्चा भाग लेने वाले हमारे सभी माननीय सदस्यगण, श्रीमती सुलता देव जी, डा. सुमेर सिंह सोलंकी जी, श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी, श्री सुभाष चन्द्र बोस जी, मु. तंबी दुरै जी और श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी, मैं इन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के महरा और माहरा समुदाय के बंधु समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले लोग हैं। जिस अवधि में यह बिल लोक सभा से पारित होकर यहाँ पर आया, उस अवधि में छत्तीसगढ़ के इस समुदाय के बंधुओं के द्वारा लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा था। उनके द्वारा यह अपेक्षा की जा रही थी कि इसे राज्य सभा में भी शीघ्र ही सर्वानुमति से पास कराया जाए। जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनकी जो अभिव्यक्ति निकलकर आई, जो प्रतिध्वनि निकलकर आई, वह इस बिल के समर्थन में निकलकर आई है, हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के समर्थन में निकलकर आई है, इसके लिए मैं फिर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।

डा. भीमराव अम्बेडकर जी की समता, समानता और समरसता की सोच है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की अवधारणा की सोच है। हमारे समाज के जो ऐसे बंधू हैं, उन बंधुओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आवास के लिए देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा पिछले नौ वर्षों में योजनाएं बनाई गईं, उन्हें जमीनी धरातल पर उतारा गया, जिसके परिणाम आज समाज में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। अभी हमारे डा. सुमेर सिंह सोलंकी जी बोल रहे थे कि 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने केवल दिवास्वपन दिखाने का काम किया, लेकिन उनके विकास के लिए सही मायने में जो योजनाएं बननी चाहिए थीं, उन्हें जीवन में आगे बढने के लिए जो अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे, उस काम को आगे नहीं बढाया गया। हमारे देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा चाहे 'नमस्ते स्कीम' की बात हो, चाहे वेंचर कैपिटल फंड की बात हो, चाहे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की बात हो, जहाँ इन सभी के माध्यम से उनके जीवन में सुगमता और स्वावलंबन लाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, वहीं डा. भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए पंचतीर्थों का भी निर्माण कराया गया। पहली बार किसी देश के पंत प्रधान ने हमारे डा. भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों, चाहे वह महु, इंदौर में उनकी जन्मस्थली हो, डा. भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, डा. भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय संग्रहालय हो, नागपूर की दीक्षाभूमि हो, मुंबई की चैत्यभूमि हो और लंदन की शिक्षा भूमि हो - जब इन पाँचों स्थानों पर पंच तीर्थों के दर्शन करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु जाते हैं, जब वे बाबा साहेब के जीवन का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि 60 वर्ष तक डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे देश में जो समता, समानता, समरसता के संदेश को आगे बढाने का काम किया, सरकारों द्वारा डा. भीमराव अम्बेडकर जी को समाज के सामने जिस रूप में लाया जाना चाहिए था, उसके लिए प्रयास नहीं किये गए। यदि सही मायने में किसी के द्वारा उन प्रयासों को समाज के सामने लाने का काम किया गया है, तो देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधान मंत्री जी की सोच में जहाँ डा. भीमराव अम्बेडकर जी के दर्शन होते हैं, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भी दर्शन भी होते हैं - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास है।

अगर हम भारत के विकास की बात करें, तो चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की बात हो, देश में बनने वाले विश्वविद्यालयों की बात हो, आईआईटी की बात हो, उद्योग धंधे और कारखाने बनाने की बात हो, अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, अनुसूचित जाति वर्ग का बंधु हर स्थान पर नज़र आता है। गगनचुंबी इमारतों को बनाने में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं, तब वे स्वयं सड़क के किनारे टीन की छोटी सी झुग्गी बनाकर रहते हैं। लेकिन हमारे और आपके जाने के लिए सनसनाती हुई सड़कें बननी चाहिए, चमचमाती हुई सड़कें बननी चाहिए, दमदमाती हुई गगनचुंबी इमारतें बननी चाहिए और अगर इनको बनाने का काम कोई करता है तो वह अनुसूचित जाति समाज का हमारा मजदूर करता है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 10 में से 5वें स्थान पर पहुँची, इसमें हमारे अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। सड़क और सफाई से लेकर सुरक्षा जैसे सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। उन्होंने अपने परिश्रम और विश्वास से समाज में एक स्थान अर्जित किया। आज देश के प्रधान मंत्री द्वारा जब इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया तो अनुसूचित जाति वर्ग में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करने के लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। ओडिशा की हमारी बहन श्रीमती सुलता देव जी ने कहा कि ओडिशा की राज्य सरकार द्वारा वहाँ की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन आरजीआई के द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया और इस कारण उसको निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया।

हमारे वरिष्ठ सांसद डा. मु. तंबी दुरै, जो लोक सभा में भी वर्षों तक हमारे साथ रहे हैं, ने 'बोयर' जाति के बारे में बताया कि कर्णाटक में उसकी अलग स्थिति है और तमिलनाडु में अलग स्थिति है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हमारे माननीय सांसद बहुत वरिष्ठ हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: It is 'Boya' community.

डा. वीरेंद्र कुमारः ठीक है, यह 'Boya' community है। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। भारत सरकार ने किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई है। उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव आने के बाद वह आरजीआई के पास जाता है। जब आरजीआई सहमत होता है, तब वह कमीशन को जाता है, उसके बाद वह मंत्रिमंडल के पास अनुमोदन के लिए जाता है। वहाँ से आने के बाद, उसे सदन में बिल के रूप में लाया जाता है। तमिलनाडु से अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 1989 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तब अविभाजित मध्य प्रदेश के द्वारा वहाँ पर 'माहरा' को 'महार', 'मेहरा' और 'मेहर' के पर्याय के रूप में समावेश करने का प्रस्ताव भेजा गया था। 1992 में आरजीआई ने अविभाजित मध्य प्रदेश में 'माहरा' जाति को शामिल करने के लिए सहमति भी दी। जब वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, तो वर्ष 2002 में 'माहरा' को मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों की श्रेणी में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 'महार', 'मेहरा' और 'मेहर' के पर्याय के रूप में शामिल किया गया, लेकिन कुछ कारणों से छत्तीसगढ़ में वहाँ की अनुसूचित जातियों की सूची में तदनुसार संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा उस समय प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के 'महार', 'मेहरा' और 'मेहर' के पर्याय के रूप में 'माहरा' और 'मेहरा' को शामिल करने का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश में 'माहरा' को अनुसूचित जाति की श्रेणी में पहले ही शामिल कर लिया गया था तथा 'माहरा' एवं 'मेहरा', जिसमें वर्तनी की मामूली भिन्नता है, छोटी सी मात्रा की भिन्नता है, इसी कारण छत्तीसगढ राज्य सरकार ने अपने दिनांक 3.6.2021 और 28.1.2022 के पत्रों के द्वारा अनुशंसा करके राज्य की 'महार', 'मेहरा' और 'मेहर' के साथ क्रमांक 33 पर 'मेहरा' और 'माहरा' को पर्याय के रूप में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा, उसका आरजीआई तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने समर्थन किया। इस पर संबंधित मंत्रालयों के द्वारा भी अनापत्ति दी गई और उसके उपरांत केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इसको पहले लोक सभा में लाया गया। वहाँ पर यह सर्वसम्मति से पारित हुआ और आज भी सभी माननीय सदस्यों के द्वारा इसको यहाँ समर्थन दिया गया है। छत्तीसगढ में 'मेहरा' और 'माहरा' की लगभग दो लाख की आबादी है, जो बुनाई और कोटवारी का काम करते हैं। वहाँ उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, जिनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होने पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, उनको शिक्षा में अधिकार मिलेंगे, वे Venture Capital Funds से कम ब्याज पर लोन लेकर अपने उद्यम भी लगा सकेंगे, उनको केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित कराने में अपना सहयोग दें, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Chhattisgarh, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

> Clause 2 was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

44

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Now, hon. Minister, Dr. Virendra Kumar to move that the Bill be passed.

डा. वीरेंद्र कुमारः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI P.T. USHA): Hon. Members, under proviso to Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, the Chairman has permitted the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023, listed in today's Revised List of Business at Serial No. 6(d), for consideration and passing.

The Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023; hon. Minister, Dr. Jitendra Singh to move the motion for consideration of Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023.

The Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, with your kind permission, I rise to move:

> "That the Bill to establish the Anusandhan National Research Foundation to provide high level strategic direction for research, innovation and entrepreneurship in the fields of natural sciences including mathematical sciences, engineering and technology, environmental and earth sciences, health and agriculture, and scientific and technological interfaces of humanities and social sciences, to promote, monitor and provide support as required for such research and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

> > The question was proposed.